



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3438]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941

No. 3438]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3790(अ).— यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित 6 उत्पादों हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के का.आ. 2920 (ई) के तहत 'सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक सामग्री (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017' जारी किया था जिसके प्रभावी होने की तारीख 5 सितम्बर, 2018 तय की गई। और यतः भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त आदेश के प्रभावी होने की तारीख पहले अर्थात् 16 अप्रैल, 2018 कर दी गई जिसे का.आ. सं. 1602(ई) के तहत दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित भारत के राजपत्र में प्रकाशित और 30 जून, 2018 तक प्रभावी आदेश के साथ अनुबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 1-3 के उत्पादों के लिए विनिर्माता द्वारा स्वतः प्रमाणन देने की शर्त पर दिनांक 30 मई, 2018 को भारत के राजपत्र में संशोधित का.आ. 2183(ई) के तहत प्रकाशित किया गया था।

2. और यतः उद्योगों ने आदेश के अनुपालन के लिए और अधिक समय मांगा और जबकि इससे संबंधित मुद्दों पर संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा की गई, स्व-प्रमाणन को 13.07.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 3449 (ई) के माध्यम से 04 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया, जिसे बाद में 12 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं. 4787(ई) के तहत आदेश में सूचीबद्ध सभी उत्पादों के लिए 20 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया, और बाद में अनुसूची में प्रत्येक उत्पादों के समक्ष उल्लिखित कार्यान्वयन की तिथियों के साथ सभी उत्पादों के लिए दिनांक 12.10.2018 के का.आ. 5259(ई) के तहत 01 जनवरी, 2019 कर दिया गया। एसपीवी मॉड्यूल के मामले में, स्व प्रमाणन की तिथि को दिनांक 13.02.2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं. 861(ई) के तहत 01.01.2019 से बढ़ाकर 31.03.2019 किया गया था, जो इस शर्त पर था कि ऐसे निर्माताओं/विकासकर्ताओं ने अपने एसपीवी मॉड्यूल दिनांक 31.10.2018 से पूर्व परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रस्तुत कर दिए हों। इसके अलावा जबकि इन्वर्टरों के लिए सीरिज दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे थे, इन्वर्टरों (मद 4-5) के लिए स्व-प्रमाणन से छूट भारत के राजपत्र में दिनांक 04.01.2019 को प्रकाशित का.आ. 46(ई) के

तहत आगे छह माह के लिए अर्थात् 30 जून, 2019 तक बढ़ाई गई, जिसे दिनांक 03 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं. 2320(ई) के तहत 30.09.2019 तक बढ़ाया गया था।

3. और यतः क्षमता, परीक्षण से संबंधित मामलों और परीक्षण प्रयोगशालाओं की तैयारी के स्तर पर विचार करते हुए उद्योग ने अनुपालन के लिए और समय की मांग की, इन्वर्टरों (मद 4-5) के लिए स्व-प्रमाणन 30.09.2019 से 31.12.2019 तक बढ़ाया गया माना जाएगा बशर्ते कि ऐसे निर्माताओं के पास इस आदेश में त्रिनिदिष्ट आईएस के अनुरूप वैध आईईसी हो और अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट हो ताकि आदेश का सुचारु क्रियान्वयन हो सके।

[फा. सं. 223/140/2017-आर एंड डी (गुणवत्ता नियंत्रण)]

डॉ. बी.एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2019

S. O. 3790(E).—Whereas the Central Government had issued “Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017 “vide S.O 2920 (E) dated 5 September 2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5th September 2018. And whereas, after having discussions with the various stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS), the date of coming into force of the said Order was advanced to 16th April 2018 on the condition of self-certification by manufacturers for products at Sl. No. 1-3 in the schedule annexed to the order applicable till 30th June, 2018 published in Gazette of India notified on 16th April, 2018 vide S.O. 1602 (E), which was revised vide S.O. 2183 (E) published in Gazette of India on 30.05.2018.

2. And whereas, the industry had sought more time for compliance to the order and whereas the issues involved were discussed with related stakeholders, the self-certification was extended to 4th September, 2018 vide S.O. 3449 (E) published in Gazette of India on 13.07.2018, which was further extended to 20th September 2018 for all products listed in the order vide S.O No. 4787(E) published in Gazette of India on 12th September 2018, and further to 1st January 2019 vide S.O. 5259 (E) dated 12.10.2018 for all items with dates of implementation indicated against each product in the schedule. In the case of SPV Module, the date of self-certification was extended from 1.01.2019 to 31.03.2019 vide S.O. No. 861 (E) published in Gazette of India on 13.02.2019 subject to the condition that such manufacturers /developers had submitted their SPV Modules to test laboratories before 31.10.2018. Further, whereas the series guidelines for inverters were in the process of preparation, the self- certification relaxation for inverters (items 4-5) was further extended by six months i.e. up to 30th June 2019 vide S. O 46(E) published in Gazette of India on 4.01.2019, which was further extended up to 30.09.2019 vide S O 2320(E) published in Gazette of India on 3rd July 2019.

3. And whereas, considering the capacity, issues relating to testing and the level of preparation of test labs the industry sought more time for compliance, the self - certification for inverters (items 4-5) stands extended from 30.9.2019 to 31.12.2019 subject to the condition that such manufacturers have valid IEC corresponding to IS specified in the said order, and test reports from international test labs, for smooth implementation of the order.

[F. No. 223/140/2017-R&D(Quality Control)]

Dr. B.S. NEGI, Adviser/Scientist G, MNRE